महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या: / /II/2018-04(01-योजना)/2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादूनः दिनांकः \\ जनवरी, 2018

विषयः– लघु सिंचाई विभाग की सिंचाई योजनाओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनेरगा) के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि बजट के अभाव में, लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं हो पाने के कारण, सिंचन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से, कृषकों को सिंचाई कार्य हेतु आवश्यकता के अनुरुप पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओ की मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना(मनेरगा) की गाईडलाईन के अनुरुप वार्षिक कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति एवं वित्त पोषण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः ३५ ( )/II/2018-04(01-योजना)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 लघु सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव